

पत्रावली सं० २१९/२०१९ सरकार बनाम जोगा सिंह व हाकम सिंह

आज्ञा का विनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
6-11-19	<p>आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री..... जोगा सिंह..... पुत्र श्री..... हाकम सिंह..... जाति..... जटसिख..... निवासी..... 75 N.P..... में फसल रबी/खरीफ सम्यत्/सन्..... २०१६..... में गांव/चक नं०..... रामदर कुंदावा के मु० नं०..... ३९..... में..... बीघा सिंचित व..... असिंचित कुल..... ६.३२५..... बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध कारत की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामल दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बायजूद के उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>यह राजकीय भूमि पर अवैध कारत करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बैदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कारत की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की..... 50 रु०/..... गुणा पेनल्टी राशि रु०..... 1774..... अथवा रु०..... पार दी पोट टूटे अधिरोपित की जाती है।</p> <p>भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्धा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी० आ० ए० को पेनल्टी की मांग कायत कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बैदखल कर कच्चा बहक राज्य सरकार हेतु सिद्धा जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।</p>	

तहसीलदार (राजस्थ)
राजसिंहनगर

